निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 93/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामकरण पुत्र श्री सुण्डाराम, जाति मीना, निवासी ग्राम टोडालडी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ श्री विमल लाल मीणा
2. एन परम लैण्ड बैस इण्डिया प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय ए–16, हनुमान नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर डॉ परम नवदीप सिंह पत्नी श्री नवदीप सिंह पुत्री स्व॰ श्री सुरजीत सिंह, जाति जट सिख, निवासी प्लाट नम्बर ए–35, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय उप तहसीलदार अमरसर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2023 ब उनवानी एन परम लैण्ड बैस इण्डिया प्रा.लि. बनाम रामकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थित

1. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री जे. पी. यादव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

निर्णय दिनांक 19.06.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उप तहसीलदार अमरसर के समक्ष प्रकरण संख्या 30/2023 ब उनवानी एन परम लैण्ड बैस इण्डिया प्रा.लि. बनाम रामकरण दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री जे.पी.यादव उपस्थित हुये। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से टिप्पणी तलब की गई।
3. बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम टोडालडी, तहसील आंधी के आराजी खसरा नम्बर 495, 494, 104, 102 103 प्रार्थी की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रयशुदा खातेदारी में

दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात के लगवा अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमिया स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के बीच में मुकमिल सीमा के पुख्ता निशानात नहीं होने से एक दुसरे की भूमि आपस में मिली हुई है। जिससे हमेशा वाद विवाद रहता है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.03.2023 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया था जिसमें सीमाज्ञान हेतु गठित राजस्व टीम द्वारा वर वक्त सीमाज्ञान वनाये गये सीमाचिन्हो को मानने से अप्रार्थीगण ने कतई मना कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। दिनांक 23.05.2023 को प्रार्थी अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुआ तो देखा की अप्रार्थी संख्या 2 के डायरेक्टर डॉ परम नवदीप सिह अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर से बाहर आ रहे थे जिन्होने प्रार्थी को न्यायालय कक्ष के बाहर बुला कर कहा कि उसकी पीठासीन अधिकारी से पत्थरगढी करवाने की बात पक्की हो गयी है तथा आज वे पत्थरगढी के आदेश प्राप्त कर आराजीयात की पत्थरगढी करवायेंगा, जिस पर प्रार्थी ने पत्थरगढी करवाने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 2 के डायरेक्टर ने प्रार्थी को धमकाया वे अप्रार्थी संख्या 1 से जैसा चाहेगा वैसा आदेश करवा कर रहेगा तथा पुलिस प्रशासन व उपखण्ड अधिकारी हमारे मिलने वाले है। उपरौकत धटनाक्रम से प्रार्थी को युक्तियुक्त आशंका हो गयी है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पत्थरगढी के आदेश पारित करके ही रहेगें। अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त रवैया दर्शाता है कि प्रार्थी को उनके न्यायालय से न्याय मिलने की कोई सम्भावना नही है। इस कारण प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किंतु प्राप्त नहीं हुई है।

6. उभय पक्षो के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। अप्रार्थी सख्या 2 द्वारा भी प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उभय पक्षों की सहमति के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण जयपुर को अन्तरण किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2023 ब उनवानी एन परम लैण्ड बैस इण्डिया प्रा.लि. बनाम रामकरण को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण जयपुर को स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम

सिविल कलक्टर
जयपुर

सुनवाई हेतु दिनांक 26.06.2023 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण जयपुर में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **19.06.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर